राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–5) विभाग

(11)

क्रमांक प.9(23)गृह–5/2005 जयपुर, दिनांक : 24/12/05

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव
2. समस्त शासन सचिव,
3. समस्त विभागाध्यक्ष

विषय– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

महोदय,

कई विभागों के स्तर से इस आशय की स्पष्टीकरण चाहा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आवेदक को राजकीय पत्रावली पर की गई टिप्पणी की प्रति उपलब्ध करवायी जा सकती है अथवा नहीं। इस क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि :–

(i) इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 08–11–2005 के साथ प्रेषित आलेख "जिज्ञासा एवं समाधान" के पृष्ठ संख्या 1 अनु 02.00 पर इस बाबत खुलासा किया हुआ है कि –

"02.01 सूचना किसी भी प्रकार की कोई सामग्री हो सकती है जिसमें अभिलेख, दस्तावेज, नीमो, ई–मेल, विचार, परामर्श, प्रेस रिलीज, परिपत्र, आदेश, लोग बुक्स, संविदा, प्रतिवेदन, कागजात, बानगी, नमूने, किसी भी रूप में रखी गई इलेक्ट्रोनिक सांख्यिकी सामग्री एवं निजी संकाय से सम्बन्धित ऐसी सूचना जो लोक प्राधिकरण द्वारा किसी भी कानून में प्राप्त की जा सकती है, सम्मिलित है।

02.02 इसमें राजकीय पत्रावली पर की गई टिप्पण सम्मिलित नहीं है। (संदर्भ :– भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय की वेबसाईट)"

(ii) भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में जानकारियाँ वेबसाईट http://persmin.nic.in पर दी जाती है। वेबसाईट पर "Information" की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए यह बताया गया है कि राजकीय पत्रावली पर की गई टिप्पणी Information की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध स्पष्टीकरण की प्रति भी सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

22/12/05

(जी.एल. गुप्ता)
शासन उप सचिव–सुरक्षा